

277/DEPT-1A
12/2/17

30/09/17

ASSEMBLY BUSINESS

विधायी कार्य/परम अग्रता

विषय:- हरियाणा विधान सभा के आगामी अधिवेशन के लिये सरकारी विधायी कार्यक्रम की तैयारी।

DA (ED)
9.2.17

कृपया सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार कृपया उपरोक्त विषय की ओर ध्यान देने का कष्ट करें ?

JD (A)

2. हरियाणा विधान सभा का आगामी अधिवेशन 27 फरवरी, 2017 को बाद दोपहर 2.00 बजे बुलाया गया है। उसकी तैयारी के सिलसिले में वे कृपया अपने अधीन सभी विभागों से सम्बन्धित विधायी कार्य के बारे में तुरन्त जांच करवा लें तथा जिस भी नये अधिनियम की आवश्यकता हो या जिस किसी अधिनियम में संशोधन करना हो, उसके प्रस्ताव को तुरन्त अंतिम रूप दें और बिना किसी विलम्ब के सक्षम प्राधिकारियों की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाये। उनसे यह भी अनुरोध है कि इस सत्र के दौरान उनके विभागों से सम्बन्धित जो भी सूचनायें व अन्य कागज पत्र विधान सभा में प्रस्तुत किये जाने हैं उन पर भी कार्यवाही पूर्ण कर ली जाये और इस बारे में संसदीय कार्य विभाग (राजनैतिक शाखा में) को दिनांक 15 फरवरी, 2017 तक अवश्यमेव सूचित किया जाये। यह सूचना समय पर न आने पर यह समझ लिया जायेगा कि उन द्वारा कोई सूचना नहीं दी जानी है और सरकारी विधायी कार्यक्रम तदनुसार तैयार कर लिया जायेगा। बाद में यदि किसी स्तर पर यह ध्यान में आया कि विधान सभा को भेजी जाने वाली सूचना सचिव, हरियाणा विधान सभा को या इस विभाग को समय पर नहीं भेजी गई तो उसकी जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रशासकीय सचिव की होगी।

PSA
7/2/17

USA
Manish, DSO

All MDs
OP
OGH

9/2/17

3. उनसे अनुरोध है कि अपेक्षित बिलों/विधान सभा में प्रस्तुत किये जाने वाले कागजों की 6-6 प्रतियां Bare Act सहित राजनैतिक शाखा को विशेष वाहक द्वारा उपरोक्त तिथि तक अवश्य भिजवा दी जाये ताकि सरकारी विधायी कार्यक्रम तैयार किया जा सके। बिलों के सम्बन्ध में कृपया निम्नलिखित सूचना अवश्य दी जाये:-

DSE - I
15-2-17

- बिल का टाइटल।
- बिल के उद्देश्यों एवं कारणों का संक्षिप्त विवरण। (यह सूचना देनी अत्यावश्यक है)
- क्या बिल मनी बिल है या नहीं ?
- क्या बिल राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश के स्थान पर तैयार किया जाना है ? यदि ऐसा है, तो अध्यादेश का ठीक टाइटल बताया जाये व अध्यादेश की प्रतियां भी साथ लगाई जायें।
- क्या बिल का प्रारूप विधायी विभाग द्वारा तैयार किया जा चुका है, या नहीं, यदि नहीं तो प्रारूप तैयार किये जाने में कितना समय लगेगा ?
- यदि बिल को विधान सभा में प्रस्तुत करने के लिये सक्षम प्राधिकारियों का अनुमोदन प्राप्त किया जा रहा है तो अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने वाले आवश्यक ज्ञापन की प्रतियां भी भेजी जायें।

DSE - II
Provide copy to DSE-I

9/2/17
A-5


4. हरियाणा विधान सभा विधि तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122 के अन्तर्गत विधान सभा में प्रस्तुत किये जाने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने के लिये 15 दिन का नोटिस दिया जाना होता है। यदि किसी कारण 15 दिन का नोटिस या विधेयक को विधान सभा में कम से कम 15 दिन पहले भेजना सम्भव न हो तो इसके कारण विशेष रूप में विधान सभा को विधेयक भेजते समय स्पष्ट किये

जायें। यह सुनिश्चित किया जाये कि ऐसे हालात में विधेयक विधान सभा सचिवालय को कम से कम 5 दिन पूर्व अवश्य भेज दिये जायें ताकि विधान सभा सचिवालय द्वारा विधेयक, सदस्यों के बीच, समय रहते परिचालित किया जा सके।

5. राज्यपाल महोदय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अन्तर्गत जारी किये गये अध्यादेशों की 315-315 प्रतियां (अंग्रेजी व हिन्दी में) एक-एक प्रमाणित प्रति सहित सदन में प्रस्तुत करने हेतु, यदि पहले न भेजी गई हों तो, सचिव, हरियाणा विधान सभा को तुरन्त भिजवा दी जायें। अध्यादेश की प्रतियां अध्यादेश के जारी होने पर तुरन्त ही सचिव, हरियाणा विधान सभा को भेजी जानी होती है। अध्यादेश से सम्बन्धित मूल अधिनियम (Bare Act) की 150-150 प्रतियां विधान सभा को अवश्य भेजी जायें।

6. अध्यादेश की प्रतियां हरियाणा विधान सभा को उनके ई-मेल आई-डी legislative.vshry@gov.in पर भी तुरन्त भेजी जानी हैं व इस मामले में सरकार के पत्र क्रमांक 3/8/2010-1 पोल दिनांक 29 फरवरी, 2016, जिसकी प्रति csharyana.gov.in पर political and parliamentary affairs में उपलब्ध है की अनुपालना सुनिश्चित की जाये।

कृपया इन हिदायतों की दृढ़ता से पालना की जाये।


अधीक्षक ससदीय कार्य
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार।

अशा० क्रमांक 1/10/2009-1सं० का०

दिनांक चण्डीगढ़ 7 फरवरी, 2017.


<<0>>

निदेशालय कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा, पंचकूला

पृ० क्रमांक 3864-40101 /स्था०-III(5), दिनांक, पंचकूला:- 16/02/2017

इसकी एक प्रति :-

1. सभी अतिरिक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक
 2. सभी अनुभागाध्यक्ष
 3. सभी अधीनस्थ कार्यालय, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा।
- को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


सहायक निदेशक (प्रशा०)
कृते: निदेशक, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग
हरियाणा, पंचकूला।

✓ C.C. Computer Programmer for up-date on Agri website.